

जिला पंचायत कार्यालय

कृषि अनुभाग

दमण ।

सं.कृषिअनु./जि.प./दमण /कृ.प.कार्यक्रम/2014-15/58

दिनांक : 14/07/2014


निविदा सूचना / कोटेशन नोटिस

दमण एवं दीव, संघ प्रदेश कृषि अनुभाग, जिला पंचायत, दमण की ओर से किसान शिबीर /क्षेत्र निदर्शन/किसान प्रवास में खान-पान सेवा निम्नानुसार आपूर्ति करने के लिए निर्धारित व्यक्तियों / फार्मों / संगठनों / होटलो से एतदद्वारा मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं : विवरण संलग्न है ।

क्रम सं.	विवरण	अंदाजीत मात्रा	EMDs राशि
1.	किसान शिबीर / क्षेत्र निदर्शन / किसान प्रवास कार्यक्रमों के दौरान खान-पान सेवा उपलब्ध कराना :- चाय: दिन में दो बार (दुध/पानी का अनुपात= 50 : 50) नास्ता (शाकाहारी) : निम्नलिखित शामिल - पौवा / खमण / सिरा /उपमा: कोई एक; फल:केला/पपीता/सतरा/अमरूद: कोई एक :- दोपहर का भोजन (शाकाहारी) : निम्नलिखित शामिल :- गेहूँ की रोटी/ गेहूँ की पुरी, पका हुआ चावल, दाल / दाल फ्राई, सब्जी : 01 हरी और 01 दाल, हरा सलाद, सह मुखवास :- रात्रि भोजन (शाकाहारी) : निम्नलिखित शामिल - गेहूँ की रोटी/ गेहूँ की पुरी, पका हुआ चावल, दाल / दाल फ्राई, सब्जी : 01 हरी और 01 दाल, हरा सलाद सह मुखवास :-	500 व्यक्तियों के लिए एक या कई अवसरों पर मांगे जा सकते हैं ।	NIL

निबंधन एवं शर्तें :-

- 1 रुचि रखनेवाली एजन्सीयों को अपना प्रस्ताव/ अपनी दरें पत्रशीर्ष पर सह हस्ताक्षर एवं मुहर सहित प्रस्तुत करना होगा ।
- 2 दरों के अंतर्गत परिवहन सह सभी दरे शामिल होनी चाहिए ये 31 मार्च 2015 तक वैध होना चाहिए ।
- 3 रुचि रखनेवाले पक्षों /एजन्सीयों को कृषि अनुभाग, जिला पंचायत द्वारा एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर कभी भी माँगे जाने पर, बागबानी फार्म/प्रशिक्षण स्थान या निर्दिष्ट स्थानों पे खान-पान सेवा मुहैया करने का समर्थन होना चाहिए । उक्त खान-पान सेवा 31 मार्च 2015 को समाप्त अवधि के दौरान एक या कई अवसरों पर माँगे जा सकते हैं ।
- 4 खान पान आपूर्तिकर्ता- प्रशिक्षण शिबीर किशन मेला स्थानों पे किसान प्रवास/ क्षेत्र निदर्शन/खाना पकाकर या अन्य प्रकार से आपूर्ति करके परोस सकते हैं । जैसा उन्हें उपुक्त लगे, परंतु खानपान आपूर्तिकर्ता को ताजा- स्वास्थ्यकर एवं स्वच्छ भोजन देना होगा । प्रति व्यक्ति दिये जानेवाले बुनियादी खाद्य मर्दों की मात्रा असीमित होगी । आपूर्तिकर्ता को सेवायें खान पान-दायरे के साथ उसकी न्यामवाली लागू होगी ।
- 5 खान पान-सेवा विभाग द्वारा दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए । विभाग द्वारा दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप न होने पर इन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा ।
- 6 आपूर्ति किये जानेवाले मर्दों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन हो सकता है ।
- 7 मर्दों को प्राप्त करने के बाद तथा संबन्धित प्राधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. के संतुष्ट होने पर ही सीधा बैंक खाता में भुगतान किया जायेगा । किसी भी प्रकार का भुगतान आगे से नहीं किया जाएगा ।
- 8 उक्त निविदाएँ इस कार्यालय में दिनांक :- 28 /07/2014 को 12.00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में पहुँच जाना चाहिए । और लिफाफे पर बड़े अक्षरों में "कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान खान-पान सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा " लिखा होना चाहिए । इन्हें संभव होने पर निविदाकर्ताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में उसी दिन मध्याह्न बाद 03.00 बजे खोला जायेगा ।
- 9 इस नोटिस की निबंधन एवं शर्तें तथा इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा आगे निर्धारित निबंधन एवं शर्तें भी रुचि रखनेवाले पक्षों को स्वीकार्य होगा । इस परियोजना के अलग से करार नहीं किया जायेगा ।
- 10 किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. को सुरक्षित होगा ।
- 11 इस कार्य से संबंधित सभी विवाद संघ प्रदेश दमण एवं दीव में उचित न्यायालके अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा । प्राधिकारी


(के. एस. चौहान)

उप निदेशक (लेखा)/आ.स.अ.
जिला पंचायत, कृषि अनुभाग,
मोटी दमण ।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, दमण ।
2. निजी सचिव,अध्यक्ष जिला पंचायत, दमण को सूचनार्थ ।
3. सभी कार्यालय/अनुभाग जिला पंचायत, दमण को व्यापक प्रचार के लिए अनुरोध सहित ।
4. जिला सूचनाविज्ञान अधिकारी,सचिवालय,दमण को सरकारी वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
5. नोटिस बोर्ड / संबन्धित गार्ड फाइल ।